फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

ईश्वर बनाम गोपी (वगैरा)

मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 103 सन् 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो।	
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
[illegible]-20 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25-8-20 को पेश हो।	
[illegible]/20 उभय पक्ष उपस्थित [illegible] [illegible] राजकीय कार्य से बाहर [illegible] अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
[illegible]-20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 11:10:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ा अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

संख्या – 103/20 प्रा॰पत्र

ा ईश्वर s/o श्री भूला गाडरी निवासी- काशीराम जी की खेड़ी तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

गोपी s/o श्री बख्तावर खाती निवासी- काशीराम जी की खेड़ी तहसील-माण्डल

ा पन्ना s/o श्री नन्दा गाडरी निवासी —————" ———————

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल तहसील-माण्डल

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 15.09.20

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम काशीरामजी की खेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी न 1157/102 कुल किता 01 रकबा 02 — बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ाने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते ी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.07.20 को पंजीबद्व किया जाकर को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से ढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की ारी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम काशीराम खेड़ी पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की ी नं. 1157/102 कुल किता 01 रकबा 02 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक आलमास 400/- ।/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा वें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये ते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की वें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.30 11:10:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner